



2026:AHC:128888

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 11689 वर्ष 2026

गुलाब सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी/आवेदक के अधिवक्ता

: जय प्रकाश सिंह, संजय कुमार पाल

विपक्षी के अधिवक्ता

: घनश्याम यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह त्वरित जमानत आवेदन, थाना- रसड़ा, जिला- बलिया में पंजीकृत मु०अ०सं० 282/2025, अंतर्गत धाराएं 115(2), 351(3), 117(2), 352, 103(1) भारतीय न्याय संहिता में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रारम्भ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 352, 115(2) (भारतीय दंड संहिता की तत्समान धाराएं 323, 504, 506) के तहत दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में सामान्य आरोप लगाए गए हैं। विवेचना के दौरान घायल चंद्रिका सिंह का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका या हथियार आबंटित नहीं किया गया था। मृतक की मृत्यु डेढ़ महीने बाद दिनांक 02.09.2025 को हुई थी। मृत्यु का कारण पूर्ववर्ती सीने में चोट के कारण हुआ सेप्टिकमिक शॉक है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 24.07.2025 की घटना का एक प्रति-पक्ष और क्रास-इंजरी भी मौजूद है। आवेदक पक्ष की ओर से दिनांक 06.08.2025

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जो थाना रसड़ा, जिला बलिया में मु०अ०सं० 295/2025, अंतर्गत धाराएं 191(2), 191(3), 115(2), 131 बी.एन.एस. के रूप में पंजीकृत हुई थी। आवेदक पक्ष की ओर से दो व्यक्तियों—मनोरमा देवी और खड़क सिंह को चोटें आई थीं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ही आक्रामक पक्ष था। आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक नहीं था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 03.09.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त धनंजय सिंह और खड़क सिंह के जमानत प्रार्थना-पत्र अभी भी लंबित हैं।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा काटी गई निरुद्धता की अवधि, किसी पूर्व आपराधिक इतिहास के न होने, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत स्वीकृत किए जाने हेतु एक उपयुक्त मामला बनाया है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।
7. आवेदक- गुलाब सिंह, जो उपरोक्त मु०अ०सं० में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उसी राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन कराया जाए:

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि न्यायालय में साक्षियों की उपस्थिति के दौरान साक्ष्य हेतु निश्चित तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।



इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामला प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचन , तथा (3) दं०प्र०सं० की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी रूप में विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए.पी. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।